

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज०)

0/2

क्रमांक/क्षेत्राधिकार/2019/५१

दिनांक 20.11.2019

आदेश

झालावाड न्याय क्षेत्र के आपराधिक मामलो के क्षेत्राधिकार के संबंध में पूर्व में दिनांक 28.01.1993 एवं दिनांक 06.08.2012 को प्रसारित आदेश में समय-समय पर न्यायालयो के अभ्युत्थान होने, न्यायालयो के नवसृजन होने, नये पुलिस थानो के गठन होने के कारण एवं आवश्यकतानुसार उक्त आदेश मे संशोधन-दर-संशोधन होने से एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकार आदेश में स्पष्टता नही होने के कारण, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड से विचार-विमर्श के उपरान्त एवं श्रीमान् द्वारा पत्र क्रमांक स्था०/2019/7856 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा अनुमोदन के उपरान्त मैं **किशोर कुमार तालेपा आर०जे०एस० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) व सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक) 2018 आदेश-35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए** पूर्व में प्रसारित क्षेत्राधिकार संबंधी सभी आदेशो को अधिनिष्ठत (Supersede) करते हुए झालावाड जिले में कार्यरत सभी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयो के दाण्डिक क्षेत्राधिकार को इस आदेश से दिनांक 01.01.2020 से निम्नप्रकार अद्यतन (Update) करता हूँ:-

01- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड :-

- (1) पुलिस थाना कोतवाली झालावाड व पुलिस थाना सदर झालावाड व आबकारी थाना झालावाड के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण
- (2) जिला झालावाड में ऐसे विशिष्ट अधिनियम के अनुसार उत्पन्न होने वाले समस्त सभी अपराधिक मामले जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विचारण की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है।

- (3) अन्य जो मामले जिसमें जिले में नए अधिनियम जिनका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को जिले में प्रयुक्त नही किया गया हो।
- (4) खानपुर, सारोला, पनवाड़ एवं पिड़ावा थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा०द०सं० से संबंधित प्रकरण

02- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नं० 1 झालावाड :-

- (1) पुलिस थाना मण्डावर, थाना रटलाई के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण
- (2) असनावर थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा०द०सं० से संबंधित प्रकरण

03- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नं० 2 झालावाड :-

- (1) पुलिस थाना बकानी के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) रायपुर थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण

04- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ :-

(1) महिला पुलिस थाना झालावाड़ एवं असनावर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

05- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन :-

(1) पुलिस थाना झालरापाटन के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

06- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना :-

(1) पुलिस थाना मनोहरथाना, दांगीपुरा एवं जावर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

07- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा :-

(1) पुलिस थाना अकलेरा, आबकारी थाना अकलेरा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) घाटोली व भालता थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण

(3) कामखेड़ा थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण

08- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा :-

(1) पुलिस थाना घाटोली, भालता एवं कामखेड़ा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

09- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी :-

(1) पुलिस थाना भवानीमण्डी, व सुनेल एवं आबकारी थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) मिश्रौली व पगारिया थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले धारा 420, 409, 467 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण

10- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी :-

(1) पुलिस थाना मिश्रौली एवं पगारिया के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा0द0सं0 से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

11- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला :-

(1) पुलिस थाना डग, गंगघार एवं उन्हेल के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले

समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

12- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा :-

- (1) पुलिस थाना पिडावा व रायपुर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण
- (2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा०द०सं० से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

13- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर :-

- (1) पुलिस थाना खानपुर, सारोलाकलां एवं पनवाड़ के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण
- (2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा०द०सं० से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

14- ग्राम न्यायालय झालरापाटन :-

- (1) पुलिस थाना सदर झालावाड़ एवं पुलिस थाना झालरापाटन के समस्त आपराधिक समन व वारण्ट (20 हजार तक सम्पत्ति के)

पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम के तहत उद्बोधित होने वाले प्रकरण संबंधित थाने के क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किए जाएंगे।

— SP —
(किशोर कुमार तालेपा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़

क्रमांक- 1646-1669

दिनांक 21/11/19.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़।
- 2- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय (एनडीपीएस प्रकरण) झालावाड़
- 3- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय (एससीएसटी प्रकरण) झालावाड़
- 4- श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय (एम०ए०सी० प्रकरण) झालावाड़
- 5- श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय झालावाड़
- 6- श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, पोस्को नं०1 झालावाड़
- 7- श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, पोस्को नं०2 झालावाड़
- 8- श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय
झालावाड़/अकलेरा/भवानीमण्डी
- 9- श्रीमान् सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़
- 10- श्रीमान् जिला कलेक्टर झालावाड़।
- 11- श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी वृत्ताधिकारियो/थानाधिकारी को इस आदेश से सूचित करने का कष्ट करें।
- 12- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ नं०1 एवं 02/

झालरापाटन / अकलेरा / भवानीमण्डी / मनोहरधाना

13- न्यायिक मजिस्ट्रेट

झालावाड / खानपुर / पिडावा / चौमेहला / भ0मण्डी / अकलेरा

14- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय झालरापाटन

15- सहायक निदेशक, अभियोजन झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त अभियोजन अधिकारी प्रथम / द्वितीय को उक्त आदेश से सूचित करें।

16- लोक अभियोजक झालावाड

17- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक परिषद झालावाड / झालरापाटन / अकलेरा / भवानीमण्डी / मनोहर धाना / खानपुर / पिडावा / चौमेहला

18- जिला वन अधिकारी झालावाड

19- जिला आवकारी अधिकारी झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि जिले के समस्त आवकारी धानो / आवकारी निरीक्षक को उक्त आदेश से सूचित करें।

20- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड

21- खाद्य निरीक्षक झालावाड

22- कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की

Website-ecourts.gov.in/jhalawar पर इस

आदेश को अपलोड करने हेतु।

23- जिला परिवहन अधिकारी झालावाड

24- फौजदारी लिपिक कार्यालय हाजा

25- आदेश / संबंधित पत्रावली ।

K. S. S. S.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

क्रमांक/क्षेत्राधिकार/2019/53.

दिनांक 16.12.2019

संशोधित आदेश

झालावाड़ न्याय क्षेत्र के आपराधिक मामलो के क्षेत्राधिकार के संबंध में पूर्व में दिनांक 28.01.1993, दिनांक 06.08.2012 दिनांक 20.11.2019 को प्रसारित आदेश में समय-समय पर न्यायालयों के अभ्युत्थान होने, न्यायालयों के नवसृजन होने, नये पुलिस थानों के गठन होने के कारण एवं आवश्यकतानुसार उक्त आदेश में संशोधन-दर-संशोधन होने से एवं वर्तमान में क्षेत्राधिकार आदेश में स्पष्टता नहीं होने के कारण, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़ से विचार-विमर्श के उपरान्त एवं श्रीमान् द्वारा पत्र क्रमांक स्था०/2019/7856 दिनांक 19.11.2019 एवं पत्र क्रमांक स्था०/2019/8507 दिनांक 12.12.19 एवं स्था०/2019/8523 दिनांक 16.12.2019 के द्वारा अनुमोदन के उपरान्त मैं **किशोर कुमार तालेपा आर०जे०एस० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) व सामान्य नियम (सिविल एवं दाण्डिक) 2018 आदेश-35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए** पूर्व में प्रसारित क्षेत्राधिकार संबंधी सभी आदेशों को अधिनिष्ठत (Supersede) करते हुए झालावाड़ जिले में कार्यरत सभी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालयों के दाण्डिक क्षेत्राधिकार को इस आदेश से दिनांक 01.01.2020 से निम्नप्रकार अद्यतन (Update) करता हूँ:-

01- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना :-

(1) पुलिस थाना मनोहरथाना, दांगीपुरा, जावर एवं कामखेड़ा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

02- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा :-

(1) पुलिस थाना घाटोली एवं भालता के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक (फौजदारी) प्रकरण

(2) (धारा 420, 409, 467, 468 भा०द०सं० से संबंधित प्रकरण के सिवाय)

03- ग्राम न्यायालय झालरापाटन :-

(1) पुलिस थाना सदर झालावाड़ पुलिस थाना मण्डावर एवं पुलिस थाना असनावर के समस्त आपराधिक समन व वारण्ट (20 हजार तक सम्पत्ति के)

(किशोर कुमार तालेपा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़

0/८

- क्रमांक- 1713-1016 एवं 172-190 दिनांक 18/12/19
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 1-श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़।
 - 2-श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय(एनडीपीएस प्रकरण) झालावाड़।
 - 3-श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय(एससीएसटी प्रकरण) झालावाड़।
 - 4-श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय (एम0ए0सी0 प्रकरण) झालावाड़।
 - 5-श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय झालावाड़।
 - 6-श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, पोस्को नं01 झालावाड़।
 - 7-श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, पोस्को नं02 झालावाड़।
 - 8-श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़/अकलेरा/भवानीमण्डी।
 - 9-श्रीमान सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़।
 - 10-श्रीमान जिला कलेक्टर झालावाड़।
 - 11-श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी वृत्ताधिकारियों/थानाधिकारी को इस आदेश से सूचित करने का कष्ट करें।
 - 12- अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ नं01 एवं 02/ झालरापाटन/अकलेरा/भवानीमण्डी/ मनोहरथाना/चीमहला।
 - 13- न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़/खानपुर/पिड़ावा/भ0मण्डी/अकलेरा।
 - 14- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय झालरापाटन।
 - 15- सहायक निदेशक, अभियोजन झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त अभियोजन अधिकारी प्रथम/द्वितीय को उक्त आदेश से सूचित करें।
 - 16- लोक अभियोजक झालावाड़।
 - 17- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक परिषद झालावाड़/झालरापाटन/अकलेरा/भवानीमण्डी/मनोहर थाना/खानपुर/पिड़ावा/चीमहला।
 - 18- जिला वन अधिकारी झालावाड़।
 - 19- जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि जिले के समस्त आबकारी थानो/आबकारी निरीक्षक को उक्त आदेश से सूचित करें।
 - 20-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़।
 - 21-खाद्य निरीक्षक झालावाड़।
 - 22- कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय को झालावाड़ न्याय क्षेत्र की **Website-ecourts.gov.in/jhalawar** पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
 - 23- जिला परिवहन अधिकारी झालावाड़।
 - 24- फौजदारी लिपिक कार्यालय हाजा।
 - 25-आदेश /संबंधित पत्रावली ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झालावाड़